6139 a

<u>महत्वपूर्ण/आवश्यक/ई–मेल/फैक्स</u>

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याःबारह–कर करेत्तर(मासिक सूचना)–2015, दिनांकःअगस्त 10 ,2015

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय : **कर–करेत्तर राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में निर्देश।**

उल्लेखनीय है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु 'कर–करेत्तर राजस्व प्राप्तियों' के अन्तर्गत शासन द्वारा रू0 400 करोड़ का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार एक माह का मासिक लक्ष्य रू0 33.33 करोड़ है। पुलिस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 06–05–2015 द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु शासन द्वारा निर्धारित उपरोक्त लक्ष्य की शत–प्रतिशत प्राप्ति हेतु प्रत्येक जनपद/इकाई स्तर पर सुनियोजित विशेष प्रयास कराते हुये लक्ष्य के सापेक्ष प्रत्येक दशा में प्रतिमाह शत–प्रतिशत वसूली सुनिश्चित कराने हेतु समस्त जनपदों/इकाइयों को निर्देशित किया गया है, परन्तु देखने में आया है कि अधिकांश जनपदों/इकाईयों द्वारा राजस्व प्राप्तियों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है और राजस्व प्राप्तियों के समस्त लेखाशीर्षकों/मदों के अन्तर्गत नियमित रूप से वसूली सुनिश्चित नहीं करायी जा रही है, जिससे राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि नहीं हो पा रही है।

2– सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 07–07–2015 व 04–08–2015 को उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित **'कर–करेत्तर राजस्व वसूली'** की समीक्षा बैठक में उक्त स्थिति पर कड़ी अप्रसन्नता व्यक्त की गई है और उक्त मदों के अन्तर्गत प्रतिमाह शत–प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

3– अतएव, आपको निर्देशित किया जाता है कि कर–करेत्तर राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें :–

- ❖ वित्तीय वर्ष 2015–16 में (माह अप्रैल–2015 से जुलाई–2015 तक) कोषागार में जमा कराई गई कर–करेत्तर राजस्व प्राप्तियों की समस्त धनराशि का सम्बन्धित कोषागारों से मिलान कराकर कोषवाणी में इन्ट्री/फीड़ कराया जाय। इसके अतिरिक्त, कर–करेत्तर राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत राजकोष में जमा कराई गई समस्त धनराशि का प्रत्येक माह नियमित रूप से सम्बन्धित कोषागारों से मिलान कराकर कोषवाणी में इन्ट्री/फीड़ कराया जाना सुनिश्चित करें।
- ❖ बैंकों के सुरक्षा गार्द एवं शैडो/गनर आदि की सेवाओं से सम्बन्धित बकाया धनराशि की वसूली यथाशीघ्र सुनिश्चित करायी जाय।
- ❖ विभागीय भवनों– जैसे गेस्ट हाउस, ए0टी0एम0 कक्ष, कैंटीन आदि के किराये की धनराशि प्रतिमाह समय से वसूल की जाय। यदि, कोई किराया आदि बकाया हो तो उक्त की वसूली यथाशीघ्र करायी जाय। इसके अतिरिक्त यदि काफी समय से इन भवनों के किराये की दरों में वृद्धि न हुई हो, तो इसमें नियमानुसार अपेक्षित संशोधन करा लिया जाय।
- ❖ चरित्र सत्यापन के प्रत्येक प्रकरण में शासन द्वारा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन हेतु निर्धारित प्रति व्यक्ति रू0 50/– शुल्क की वसूली सुनिश्चित करायी जाय।
- ❖ अग्निशमन से सम्बन्धित प्राप्तियों की प्रतिमाह निर्धारित शुल्क के अनुसार शत–प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करायी जाय।
- ❖ यातायात पुलिस/नागरिक पुलिस द्वारा प्रत्येक माह अभियान चलाकर मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत जुर्माने (शमन शुल्क) आदि के रूप में निर्धारित शुल्क के अनुसार शत–प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित करायी जाय।

––2

- ❖ सरकारी आवासों में आवासित अध्यासियों से विद्युत की कटौती शासन द्वारा निर्धारित बढी हुई दरों से प्रतिमाह नियमित रूप से सुनिश्चित करायी जाय।
- ❖ उपरोक्त के अतिरिक्त, पुलिस विभाग की प्राप्तियों से सम्बन्धित लेखाशीर्षकों/मदों (कोड़ सहित विवरण संलग्न) जैसे–रेलवे पुलिस के लिए अंशदान, महत्वपूर्ण स्थानों आदि पर नियुक्त पुलिस तथा विदेशी राष्ट्रिकों के उद्वासन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से वसूलियॉ, भारत सरकारी की ओर से रखा गया पुलिस दल, अन्य वसूलियॉ जिनमें अन्य राज्यों को पी.ए.सी. कम्पनियो की प्रतिनियुक्ति के कारण होने वाली वसूलियॉ सम्मिलित हैं, भारत–तिब्बत सीमा पर सुरक्षा दल के लिये भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला अंशदान, अन्य दलों से वसूलिया, प्रकम वाहक अनुज्ञप्ति, शस्त्रों की परिरक्षा तथा अनुरक्षण के लिए फीस, अन्य फीस जुर्माने इत्यादि, उ0प्र0 प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली–2009 के अन्तर्गत फीस आदि से प्राप्तियॉ, शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियॉ, राज्य मुख्यालय की प्राप्तियॉ, अधिभुगतानों की वसूलियॉ, अन्य की गयी सेवाओं से प्राप्तियॉ, भूमि और मकान की बिक्री, पुलिस लाईनों की उपज की बिक्री से आय और घोड़े की सवारी सीखने के सम्बन्ध में बाहरी लोगों से प्राप्त फीस का चौथाई भाग, इमारतों का किराया, आवासिक भवनों पर जलकर, अवकाश वेतन अंशदान, अन्य प्रकीण प्राप्तियॉ, अवितरित वेतन की जमा धनराशि, वापसियॉ, अवितरित वेतन जमा धनराशि का रिफण्ड, उ.प्र.पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं आदि से प्राप्तियॉ इत्यादि के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क के अनुसार प्रतिमाह नियमित रूप से शत–प्रतिशत राजस्व की वसूली सुनिश्चित करायी जाय।
- ❖ कर–करेत्तर राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत प्रतिमाह वसूली गई धनराशि को सम्बन्धित सही लेखाशीर्षक के अन्तर्गत चालान में सही कोड़ अंकित कर राजकोष में जमा कराया जाय।
- ❖ कर–करेत्तर राजस्व प्राप्तियों का लेखाशीर्षकवार मासिक विवरण निर्धारित प्रारूप में **<u>प्रत्येक माह की 05 तारीख तक</u>** नियमित रूप से पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त विवरण के साथ राजस्व प्राप्तियों के लेखाशीर्षकों/मदों के अन्तर्गत प्रतिमाह वसूली गई समस्त धनराशि का अलग–अलग लेखाशीर्षकवार पूर्ण विवरण तैयार कराकर अलग से संलग्न कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- ❖ राजस्व प्राप्तियों की प्रत्येक जनपद/इकाई स्तर पर प्रत्येक माह समीक्षा करायी जाय और राजस्व प्राप्तियों में आ रही कमीं को दूर कराने व वृद्धि हेतु यथासम्भव प्रयास सुनिश्चित कराये जायं।

<u>संलग्नक</u>–यथोपरि।

(एस0के0 माथुर)
अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद

<u>संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषित :–

1– पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।

2– श्री कमल सक्सेना, सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

(एस0के0 माथुर)
अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद

पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश की 'कर करेत्तर राजस्व प्राप्तियों' से सम्बन्धित लेखाशीर्षकों/मदों का विवरण

क्र0सं0	लेखाशीर्षक/मद का कोड	लेखाशीर्षक/मद का नाम	विवरण
1	0041001010302	मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत जुर्माने आदि के रूप में पुलिस विभाग (यातायात पुलिस/नागरिक पुलिस) द्वारा वसूली गई धनराशि	इसमें मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत जुर्माने के रूप में नागरिक पुलिस/यातायात पुलिस विभाग द्वारा वसूली गई धनराशि को जमा किया जाता है।
2	0055001010100	रेलवे पुलिस के लिये अँशदान	इसके अन्तर्गत राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा जीआरपी कास्ट के अन्तर्गत रेल मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अंशदान की धनराशि जमा की जाती है।
3	0055001010201	महत्वपूर्ण स्थानों आदि पर नियुक्त पुलिस तथा विदेशी राष्ट्र के उद्‌वासन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से वसूलियाँ	इसके अन्तर्गत महत्वपूर्ण स्थानों आदि पर नियुक्त पुलिस तथा विदेशी राष्ट्रिकों जैसे बंग्लादेशी राष्ट्रिको व पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के भारत से उद्‌वासित किये जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि जमा की जाती है।
4	0055001010202	भारत सरकार की ओर से रखा गया पुलिस दल	इसमें आपराधिक जांच और सतर्कता हेतु की गई ड्यूटी के फलस्वरूप भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि जमा की जाती है।
5	0055001010203	अन्य वसूलियां जिनमे अन्य राज्यो को पी.ए.सी. कम्पनियो की प्रतिनियुक्ति के कारण होने वाले वसूलियाँ सम्मिलित है	इसके अन्तर्गत पीएसी मुख्यालय द्वारा अन्य प्रदेशों में विभिन्न ड्यूटी पर पीएसी के व्यवस्थापन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली धनराशि जमा की जाती है।
6	0055001010204	भारत-तिब्बत सीमा पर सुरक्षा दल के लिये भारत सरकार के द्‌वारा दिया जाने वाला अंशदान	इसमें एसपीएफ द्वारा भारत तिब्बत सीमा पर गयी ड्यूटी के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली धनराशि जमा की जाती है।
7	0055001020100	अन्य दलों से वसूलियां	इसमें बैंकों को दी गई गार्द एवं सुरक्षा हेतु दिये गये गनर/शैडो की ड्यूटी के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली आय जमा की जाती है।
8	0055001030100	प्रक्रम (स्टेज) वाहक अनुज्ञप्ति	
9	0055001030200	शस्त्रो की परिरक्षा(कस्टडी)तथा अनुरक्षण(मेंटेनेंस)के लिये फीस	इसमें शशस्त्र अधिनियम–1962 के नियम 47(4) के अनुसार शस्त्रों की परिरक्षा (कस्टडी)/अनुरक्षण (मैनटेनैंस) के लिए ली गई फीस को जमा किया जाता है।
10	0055001030300	अन्य फीस, जुर्मानें इत्यादि	इसमें चरित्र सत्यापन शुल्क, पुलिस जवानों पर लगाये गये अर्थदण्ड एवं पुलिस भर्ती सम्बन्धी शुल्क इत्यादि की धनराशि जमा की जाती है।
11	0055001030400	उत्तर प्रदेश प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2009 के अन्तर्गत फीस आदि से प्राप्तियां	इसमें उ0प्र0 प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली–2009 के अन्तर्गत निजी सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षक के चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन सम्बन्धी शुल्क, शस्त्र लाईसेन्स जारी करने सम्बन्धी शुल्क, शस्त्र लाईसेन्स का नवीनीकरण कराये जाने सम्बन्धी शुल्क, प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण का कारोबार करने के लिए लाईसेन्स सम्बन्धी शुल्क की धनराशि जमा की जाती है।
12	0055001040100	शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	इसमें आयुध अधिनियम–1959 के अन्तर्गत अग्न्यायुधों और गोला बारूद के अर्जन और कब्जे के लिए लाईसेन्स सम्बन्धी फीस, आयुधों और गोला बारूद के विनिर्माण विक्रय इत्यादि के लाईसेन्स सम्बन्धी फीस, गनों की नाल को छोटा किये जाने या नकली अग्न्यायुधों को अग्न्यायुधों में संपरिवर्तित करने सम्बन्धी लाईसेन्स, आयुधों आदि के आयात और निर्यात सम्बन्धी लाईसेन्स सम्बन्धी फीस से प्राप्त धनराशि जमा की जाती है।
13	0055001050100	राज्य मुख्यालय पुलिस की प्राप्तियाँ	इसमें मानवाधिकार आयोग द्वारा लगाई गई पैनल्टी के फलस्परूप जमा होने वाली धनराशि जमा की जाती है।

क्र0सं0	लेखाशीर्षक/मद का कोड	लेखाशीर्षक/मद का नाम	विवरण
14	0055008000100	अधिभुगतानों की वसूलिया	इसमें ऑडिट आपत्तियों द्वारा अधिक भुगतान के फलस्वरूप वसूली जाने वाली धनराशि जमा की जाती है।
15	0055008000200	अन्य की गयी सेवाओं से प्रप्तियां	इसमें कोर्ट के आदेश पर किसी व्यक्ति द्वारा अपने मकान/भूमि/सम्पत्ति, जिस पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है, को कब्जे से मुक्त कराने सम्बन्धी शुल्क की धनराशि जमा की जाती है।
16	0055008000300	भूमि और मकान की बिक्री	इसमें पुराने जीण–शीर्ण आवासों के ध्वस्तीकरण के पश्चात् नीलामी में प्राप्त धनराशि जमा करायी जाती है।
17	0055008000400	पुलिस लाइनों की उपज की बिक्री से आय और घोड़े की सवारी, सीखनें के सम्बन्ध में बाहरी लोगो से प्राप्त फीस का चौथाई भाग	इसमें पुलिस लाईनों की जमीन में की जाने वाली खेती अथवा पेडों की कटाई अथवा फलों अथवा सब्जियों की बिकी और प्राईवेट व्यक्तियों से घुडसवारी सीखने हेतु प्राप्त शुल्क की धनराशि जमा की जाती है।
18	0055008000500	इमारतों का किराया	इसमें पुलिस की जमीन पर स्थापित बैंक ए0टी0एम0 के किराये अथवा पुलिस परिसर में स्थापित प्राईवेट कैन्टीन के किराये इत्यादि की धनराशि जमा की जाती है।
19	0055008000600	आवासिक भवनों पर जलकर	इसमें पुलिस के आवासीय भवनों में निवास कर रहे कर्मचारियों से जलकर के रूप में वसूली गई धनराशि जमा की जाती है।
20	0055008000700	अवकाश वेतन अंशदान	इसमें पुलिस कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश, मैडिकल अवकाश एवं मातृत्व अवकाश पर जाने के फलस्परूप वेतन से की गयी कटौती की धनराशि जमा की जाती है।
21	0055008000800	अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियां	नीलामी, रद्दी/पेड/निष्प्रयोज्य वाहन, न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना व सम्बन्धित पुलिस कर्मियों से वसूली की गई धनराशि जमा की जाती है एवं ऐसी समस्त धनराशि को भी जमा कराया जा सकता है, जो अन्य शीर्षक के अन्तर्गत परिभाषित न हों।
22	0055008000900	अवितरित वेतन की जमा धनराशि	इसमें बिना वेतन अवकाश (एल0डब्ल्यू0पी0)/निलम्बित चल रहे कर्मचारी के वेतन की धनराशि जमा की जाती हैं
23	0055008001000	अध्यासियों से विद्युत कटौती के रूप में वसूली जाने वाले धनराशि	इसमें पुलिस के आवासीय भवनों में निवास कर रहे कर्मचारियों से विद्युत कटौती के रूप में वसूली गई धनराशि जमा की जाती है।
24	0055009000100	वापसियाँ	
25	0055009000200	अवितरित वेतन जमा धनराशि का रिफण्ड	किन्हीं करणों से आहरित वेतन, जो अवितरित रह जाता है, उसकी धनराशि जमा की जाती है।
26	0070601090000	अग्नि से बचाव और नियंत्रण	इसमें व्यापारिक प्रतिष्ठानों के अग्निशमन कार्य हेतु की गई वसूली से प्राप्त धनराशि जमा की जाती है।
27	0070601090100	फायर ब्रिगेड द्वारा की गई सेवाओं के संबंध में वसूलिया	इसमें फायर एक्स टिंग्यूसर के वार्षिक परीक्षण शुल्क रू0 10/– की दर से की गई वसूली एवं फायर रिपोर्ट की नकल कॉपी देने हेतु की गई वसूली से प्राप्त धनराशि जमा की जाती है।
28	0070601090200	उ.प्र. अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनिधम 2005 के प्राप्तियां	इसमें किस प्रकार व कितनी दर से वसूली होनी है, के सम्बन्ध में फायर मुख्यालय द्वारा प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। स्वीकृति अपेक्षित है।
29	0070608001400	उ.प्र.पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं आदि से प्राप्तियॉ	इसमें उ.प्र.पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं आदि से प्राप्त धनराशि जमा की जाती है।
30	0071011010100	पुलिस गारदों के पेन्शनों इत्यादि के लिये अंशदान जो व्यक्ति (इन्डिविजवुल) और सहकारी निकायों से वसूल किया गया	इसमें पुलिस गारदों के पेन्शनों इत्यादि के लिये अंशदान की धनराशि, जो व्यक्ति (इन्डिविजवुल) और सहकारी निकायों से वसूल की गयी, को जमा किया जाता है।